विधि तथा न्याय (क) विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, अप्रेल १, १९६४

संख्या एफ.७ (५)-एल.१६४ :—राजस्थान आफिशियल लेग्वेज एक्ट, १९५६ (एक्ट संख्या ४७, सन् १९५६) की धारा ४ के परन्तुक के अनुसरण में राजस्थान नर्स, मिडवाइफ, हैल्थ विजीटर्स एण्ड आक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, १९६४ (एक्ट संख्या २, सन् १९६४) का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :—

राजस्थान नर्स, मिडवाइफ, स्वास्थ्य-वीक्षक और सहायक नर्स-मिडवाइफ रजिस्ट्रेशन अधिनियम, १९६४

(अधिनियम संख्या २ सन् १९६४)

[राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक २८ मार्च, १९६४ को प्राप्त हुई,]

राजस्थान राज्य में नर्सों, मिडवाइफ, स्वास्थ्य-वीक्षकों और सहायक नर्स-मिडवाइफ के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करने के लिये अधिनियम।

राजस्थान राज्य विधान-मण्डल द्वारा भारत गणराज्य के पन्द्रहवें वर्ष में निम्न रूपेण अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय १

प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :—(१) यह अधिनियम राजस्थान नर्स, मिडवाइफ स्वास्थ्य-वीक्षक और सहायक नर्स-मिडवाइफ रजिस्ट्रेशन अधिनियम, १९६४ कहलावेगा।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर होगा।

(३) यह तुरन्त प्रभावशील होगा।

२. परिभाषायें :—इस अधिनियम में जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "सहायक नर्स मिडवाइफ" से तात्पर्य परिषद् से इस संबंध में मान्यता प्राप्त किसी भी प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त सहायक नर्स-मिडवाइफ के कार्य का प्रमाण पत्र धारण करने वाले व्यक्ति से है;

(ख) "परिषद्" से तात्पर्य, धारा ३ के अधीन स्थापित राजस्थान नर्सिंग परिषद् से है;

(ग) "स्वास्थ्य-वीक्षक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने परिषद् से इस संबंध में मान्यता प्राप्त किसी स्वास्थ्य-स्कूल, संस्था या परीक्षक-निकाय

(Examining body) से स्वास्थ्य-सेवक का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो ;

(घ) "मिडवाइफ" से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो परिषद् से इस संबंध में मान्यता प्राप्त किसी भी प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त मिडवाइफ के कार्य का प्रमाण-पत्र धारण करता है ;

(ङ) "नर्स" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो परिषद् से इस संबंध में मान्यता प्राप्त किसी भी प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त 'नर्सिंग' का प्रमाण-पत्र धारण करता हो ;

(च) "निर्धारित" से तात्पर्य इस अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों द्वारा निर्धारित से है;

(छ) "रजिस्टर" से तात्पर्य धारा १२ के अधीन संधारित रजिस्टरों में से किसी से भी है;

(ज) "रजिस्टर्ड" से तात्पर्य इस अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार रजिस्टर्ड से है।

अध्याय २

राजस्थान नर्सिंग परिषद्

३. परिषद् की स्थापना और निगमन:—राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों की क्रियान्विति के प्रयोजनार्थ सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा राजस्थान नर्सिंग परिषद् के नाम से एक परिषद् की स्थापना करेगी और ऐसी परिषद् एक निगम निकाय होगी और उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा एवं उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी तथा वह उक्त नाम से वाद चला सकेगी तथा उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

४. परिषद् का गठन:—(१) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) पदेन सदस्य:—

[१] संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा राजस्थान राज्य;

[२] उप संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा राजस्थान राज्य;

[३] मैडिकल सुपरिण्टेण्डेण्ट, सवाई मानसिंह हास्पिटल, जयपुर;

[४] सहायक संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, इंचार्ज प्रसूति तथा शिशु कल्याण, राजस्थान राज्य;

[५] स्टेट नर्सिंग सर्विसेज के चीफ नर्सिंग सुपरिण्टेण्डेण्ट राजस्थान राज्य;

[६] मैट्रन अथवा नर्सिंग सुपरिण्टेण्डेण्ट, जो भी नर्सेज ट्रेनिंग, महात्मा गांधी हास्पिटल, जोधपुर का इंचार्ज हो;

[७] मैट्रन अथवा नर्सिंग सुपरिण्टेण्डेण्ट, जो भी सवाई मानसिंह हास्पिटल, जयपुर में नर्सेज ट्रेनिंग का इंचार्ज हो;

[८] मैट्रन अथवा नर्सिंग सुपरिण्टेण्डेण्ट जो भी नर्सेज ट्रेनिंग, पी. बी. एम. वूमेन्स हास्पिटल, बीकानेर का इंचार्ज हो;

[९] मैट्रन अथवा नर्सिंग सुपरिण्टेण्डेण्ट, जो भी नर्सेज ट्रेनिंग, जनरल हास्पिटल, उदयपुर का इंचार्ज हो।

(ख) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य—

[१] एक सिस्टर ट्यूटर (Sister tutor);

[२] एक पब्लिक हैल्थ नर्स;

[३] एक व्यक्ति जो राजस्थान राज्य के रेल्वे अस्पतालों का प्रतिनिधित्व करता हो;

[४] ट्रेण्ड नर्सेज एसोशियेशन आफ इंडिया का एक सदस्य, जो राजस्थान राज्य में निवास करता हो;

[५] नर्सिंग सुपरिण्टेण्डेण्ट, लूंगिया हास्पिटल, अजमेर।

[६] एक व्यक्ति जो, अजमेर डायोसीजन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा नियन्त्रित मेडिकल इंस्टीट्यूशन का प्रतिनिधित्व करता हो।

(२) परिषद् निर्धारित रीति से दो ऐसे व्यक्तियों को सहवृत कर सकेगी जो निर्धारित योग्यता रखते हों, तथा जिन्हें परिषद् के समक्ष आने वाले कार्य के संबंध में परिषद् को सलाह देने के लिये विशेष रूप से उपयुक्त समझा जाय :

परन्तु शर्त यह है कि यदि परिषद् अपनी प्रथम बैठक की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर अपने सदस्यों के रूप में, व्यक्तियों का इस प्रकार सहवरण करने में विफल रहे तो राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों को परिषद् के सदस्यों के रूप में मनोनीत करेगी।

५. सदस्यों के नामों का प्रकाशन:—परिषद् के समस्त सदस्यों के नाम, सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे।

६. सदस्यों के पद धारण करने की अवधि:—(१) परिषद् का पदेन सदस्य, उक्त रूप में उस समय तक पदधारण करता रहेगा जब तक कि वह उस पद को धारण करता है जिसके कि कारण वह परिषद् का सदस्य है।

(२) पदेन सदस्य के अतिरिक्त, परिषद् के सदस्य के पद धारण की अवधि उसके मनोनयन या सहवरण जैसी भी स्थिति हो, की तारीख से तीन वर्ष की होगी परन्तु वह ऐसे सदस्य के रूप में पुनः मनोनीत या पुनः सहवृत किये जाने के लिये योग्य होगा।

(३) परिषद् के किसी सदस्य के संबंध में राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह घोषणा की जा सकेगी कि वह अब ऐसा सदस्य नहीं रहा है,—

(क) यदि वह अपना त्याग-पत्र लिखित में परिषद् के अध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करदे, या

(ख) यदि उसकी मृत्यु हो जाय, या

(ग) यदि वह भारत के बाहर रहने के कारण निरन्तर एक वर्ष से अधिक की अवधि तक अनुपस्थित रहा हो, या

(घ) यदि वह परिषद् की तीन लगातार बैठकों में बिना किसी उचित कार के अनुपस्थित रहा हो, या

(ङ) यदि वह कार्य करने से मना करदे या कार्य करने में असमर्थ हो जाय या जिसको सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया अथवा विकृत मस्तिष्क वाला घोषित कर दिया गया हो या जिसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध का दोषी ठहराया गया हो या उसके विरुद्ध कोई ऐसी आज्ञा पारित की गई हो जिसमें कोई चारित्रिक दोष लक्षित होता हो :

परन्तु शर्त यह है कि ऐसी कोई भी घोषणा खंड (घ) और (ङ.) में उल्लिखित मामलों में से किसी के भी संबंध में तब तक नहीं की जायगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति को उसके विरुद्ध कारण बतलाने का पर्याप्त अवसर नहीं प्रदान कर दिया गया हो और यदि कारण बताया जाय तो उसे संतोषजनक नहीं पाया गया हो।

(४) किसी भी व्यक्ति को परिषद् के सदस्य के रूप में मनोनीत या सहवृत नहीं किया जायगा यदि ऐसे मनोनयन या सहवरण के समय वह भारत के बाहर होने के कारण अनुपस्थित है या उप-धारा (३) के खंड (ङ) मे उल्लिखित निर्योग्यताओं में से कोई भी उसमें है।

(५) राज्य सरकार, किसी भी समय, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, किसी भी सदस्य को, किसी भी ऐसे कारण से, जिसे राज्य सरकार जनहित पर विपरीत प्रभाव डालने वाला समझे, उसके पद से, उसे स्पष्टीकरण का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् हटा सकेगी और इस प्रकार हटाया गया सदस्य, उसके हटाये जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिये मनोनीत या सहवृत किये जाने के योग्य नहीं होगा।

७. रिक्त स्थानों का भरा जाना:—धारा ६ में निहित प्रावधानों में से किसी के भी कारण, किसी स्थान के रिक्त होने पर, ऐसी रिक्ति के संबंध में राज्य सरकार को तुरन्त एक रिपोर्ट दी जायगी जो यथा-संभव शीघ्र, धारा ४ के प्रावधानों के अनुसार उक्त रिक्त स्थान को भर लेगी।

८. परिषद् के अधिकारी :—(१) संचालक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा, राजस्थान, परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा।

(२) एक उपाध्यक्ष भी होगा जो परिषद् द्वारा, अपने सदस्यों में से ही निर्धारित रीति के अनुसार निर्वाचित किया जायगा और वह उस समय तक या तीन वर्ष की अवधि तक, जो भी पहले हो, पद धारण करता रहेगा जब तक वह परिषद् का सदस्य बना रहता है।

(३) उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को लिखित में नोटिस देकर अपने पद से त्याग-पत्र दे सकेगा और परिषद् द्वारा उसका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया जाने पर वह उपाध्यक्ष का पद छोड़ देगा।

(४) जब उपाध्यक्ष का पद, मृत्यु, त्याग-पत्र द्वारा या अन्यथा रिक्त हो जाय तो परिषद् का अन्य सदस्य निर्धारित रीति से उक्त पद के लिय निर्वाचित किया जायगा।

९. रजिस्ट्रार और स्टाफ:—(१) परिषद् एक रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी और ऐसे वेतन तथा सेवा की अन्य शर्तों पर जो वह निश्चित करे, ऐसे अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी जो वह आवश्यक समझे नियुक्त कर सकेगी और इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति इंडियन पीनल कोड, १८६० (सैण्ट्रल एक्ट ४५ सन् १८६०)की धारा २१ के अर्थ में लोक सेवक (Public Servant) समझा जायगा।

(२) रजिस्ट्रार, परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों द्वारा अथवा परिषद् की आज्ञा द्वारा विशेष रूप से उसे सौंपे जांय।

१०. कार्य संबंधी विनियम:—(१) परिषद् इस अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुरूप निम्नलिखित सभी मामलों या उनमें से किसी के भी लिये विनियम बना सकेगी, अर्थात् :—

(क) अपनी बैठकों के समय तथा स्थान के लिये ;

(ख) सदस्यों को ऐसी बैठकों के नोटिस जारी करने के लिये ;

(ग) ऐसी बैठकों में कार्य के संचालन के लिये;

(घ) कार्य करने के लिये आवश्यक कोरम के लिये ;

(ङ) परिषद् के समक्ष कार्य के किसी भी भाग के संबंध में कार्यवाही करने के लिये उप-समितियों की नियुक्ति के लिये ;

(च) सामान्य मुद्रा के आरक्षण (Custody) तथा प्रयोजन जिनके लिये वह प्रयुक्त की जायगी उनके लिये ;

(छ) परिषद् के कार्य के संचालन संबंधी किसी भी अन्य मामले के लिये।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया कोई भी विनियम, उस समय तक प्रभावशील नहीं होगा जब तक कि उसकी पुष्टि राज्य सरकार द्वारा नहीं करदी गई हो और उसे सरकारी गजट में प्रकाशित नहीं कर दिया गया हो।

११. रिक्ति, कार्यवाहियों तथा कार्यों को प्रभावित नहीं करेगी :—यदि परिषद् के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाय, तो उसके मौजूदा सदस्य इस प्रकार कार्य करेंगे मानो कोई स्थान रिक्त नहीं हुआ हो और परिषद् का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल स्थान रिक्त होने से या परिषद् के किसी सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के मनोनयन या सहवरण में किसी ऐसी त्रुटि या अनियमितता जो सार को प्रभावित नहीं करती हो, के होने के कारण अवैध नहीं समझी जायेंगी।

अध्याय ३

रजिस्ट्रेशन

१२. रजिस्टरों के संधारण हेतु आज्ञायें:—(१) परिषद्, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् सुविधापूर्वक जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र और अवसर की अपेक्षा के अनुसार समय समय पर निम्नांकित के लिए आज्ञाएं पारित करेगी—

(क) रजिस्टर्ड नर्सों के एक ऐसे रजिस्टर,

(ख) मिडवाइव्ज के एक ऐसे रजिस्टर,

(ग) रजिस्टर्ड स्वास्थ्य-वीक्षकों के एक ऐसे रजिस्टर, और

(घ) सहायक नर्स-दाईयों के एक ऐसे रजिस्टर,

के संधारण को विनियमित करने के लिए जो कई भागों में क्रमबद्ध होगा जिनमें कि रजिस्टर्ड किये जाने वाले व्यक्ति उनकी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए वर्गीकृत किये जावेंगे।

(२) उक्त रजिस्टरों में से प्रत्येक रजिस्टर, परिषद् द्वारा निर्धारित प्रपत्र में रखा जावेगा।

१३. रजिस्टर किये जाने के अधिकारी व्यक्ति :—इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित व्यक्ति रजिस्टर किये जाने के अधिकारी होंगे, अर्थात् :—

[१] नर्सें, स्वास्थ्य-वीक्षक और सहायक नर्स-मिडवाइव्ज, जिन्होंने परिषद् द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण का कोर्स किया हुआ हो और जिन्होंने परिषद् द्वारा आयोजित, निर्धारित परीक्षाओं को पास कर लिया हो तथा जो ऐसी अन्य शर्तों की, जो निर्धारित की जायें, पूर्ति करती हों;

[२] नर्सें, दाईयां, स्वास्थ्य-वीक्षक और सहायक नर्स-दाईयां जो भारत के अन्य राज्यों की सत्ताओं (Authorities) द्वारा तथा विदेशी परिषद् (Foreign Council) द्वारा जारी किये गये तदनुरूप प्रमाण-पत्र, धारण करती हों बशर्ते कि ऐसे प्रमाण-पत्र इन्डियन नर्सिंग कौंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त हों;

[३] नर्सें, दाईयां, स्वास्थ्य-वीक्षक और सहायक नर्स-दाईयां, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय पहले से ही प्रैक्टिस करती हों और ऐसी शर्तों की जो निर्धारित की जायें, पूर्ति करती हों।

१४. रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन-पत्र:—धारा १३ में उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन-पत्र, निर्धारित प्रपत्र में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जावेगा और उसके साथ निर्धारित शुल्क होगा।

१५. रजिस्ट्रार द्वारा आवेदनों का निपटारा :—यदि रजिस्ट्रार, निर्धारित रीति से ऐसी जांच, जिसे वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् संतुष्ट हो जाय, कि रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन करने वाला धारा १३ के अधीन रजिस्टर किये जाने का अधिकारी है तो वह उसका नाम उपयुक्त रजिस्टर में दर्ज कर लेगा :

परन्तु शर्त यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिये दिया गया कोई आवेदन-पत्र जिसका मामला इस अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, विनियमों या आज्ञाओं के प्रावधानों द्वारा स्पष्टतः नियंत्रित नहीं होता है, परिषद् के निर्णय हेतु प्रेषित किया जा सकेगा।

(२) यदि रजिस्ट्रार, उपर्युक्त रूप से संतुष्ट नहीं हो, तो वह, रजिस्ट्रेशन के लिये दिए गए आवेदन-पत्र को अस्वीकार करते हुए आज्ञा प्रदान करेगा तथा उसके साथ दिए गए शुल्क को लौटा देगा।

१६. रजिस्टर रखना :—(१) रजिस्ट्रार इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत निर्मित नियमों तथा विनियमों और परिषद् द्वारा धारा १२ के अधीन दी गई किन्हीं आज्ञाओं के प्रावधानों के अनुसार रजिस्टर रखेगा और उन्हें संधारित करेगा, रजिस्ट्रीकृत नर्सों, मिडवाइव्ज, स्वास्थ्य-वीक्षकों (हैल्थ विजिटर्स) तथा सहायक नर्स-मिडवाइव्ज के रजिस्ट्रीकृत पतों तथा नियुक्तियों, रजिस्ट्रीकृत योग्यताओं तथा वर्गीकरण में आवश्यक परिवर्तन दर्ज करेगा और उनमें से किसी उक्त नर्स, मिडवाइफ, स्वास्थ्य-वीक्षक या सहायक नर्स-मिडवाइफ का नाम काट सकेगा।

(२) रजिस्ट्रार को उप-धारा (१) द्वारा उस पर आरोपित कर्त्तव्यों का पालन करने के निमित्त योग्य बनाने के लिये, वह, ऐसे किसी व्यक्ति के नाम जिसका नर्स, या स्वास्थ्य-वीक्षक या किसी सहायक नर्समिडवाइफके रूप में रजिस्ट्रीकरण किया गया हो, यह पूछते हुये कि आया उसने उक्त व्यवसाय छोड़ दिया है या आया उसके निवास या नियुक्ति-स्थान में परिवर्तन किया गया है, डाक द्वारा एक रजिस्टर्ड पत्र उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर या नियुक्ति स्थान के पते पर, भेज सकेगा; और यदि ऐसे किसी पत्र का उत्तर भेजे जाने की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर प्राप्त न हो तो रजिस्ट्रार उक्त व्यक्ति का नाम उस रजिस्टर में से जिसमें वह दर्ज किया गया है, काट सकेगा :

किन्तु शर्त यह है कि इस उप-धारा के अन्तर्गत काटा गया कोई भी नाम, परिषद् के निदेश के अधीन, उक्त रजिस्टर में पुनः दर्ज किया जा सकेगा।

१७. मृत्यु की सूचना मिलने पर नाम काटना :—(१) मृत्यु इत्यादि दर्ज करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रार जिसे ऐसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की सूचना मिले जिसका नाम, उसकी जानकारी में, रजिस्टरों में से किसी रजिस्टर में दर्ज किया हुआ है, परिषद् के रजिस्ट्रार को तुरन्त डाक द्वारा ऐसी मृत्यु का प्रमाण-पत्र जिस पर उसके हस्ताक्षर और मृत्यु के समय तथा स्थान के ब्यौरे होंगे, भेजेगा।

(२) परिषद् का रजिस्ट्रार—

(क) ऐसा कोई प्रमाण-पत्र, या

(ख) ऐसी मृत्यु के सम्बन्ध में कोई अन्य विश्वस्त सूचना प्राप्त होने पर मृत व्यक्ति का नाम ऐसे रजिस्टर में से, जिसमें वह दर्ज है काट देगा।

१८. कपटपूर्ण और गलत इन्द्राजों को काटना :—रजिस्टरों में ऐसा कोई भी इन्द्राज जिसके बारे में रजिस्ट्रार को संतुष्ट करते हुये यह सिद्ध कर दिया गया है कि वह कपटपूर्वक या गलत रूप से किया गया है, रजिस्टरों में से, रजिस्ट्रार द्वारा अभिलिखित की जाने वाली लिखित आज्ञा द्वारा काटा जा सकेगा।

१९. रजिस्ट्रीकरण इत्यादि का निषेध:—(१) परिषद्, नर्स, मिडवाइफ, स्वास्थ्य-वीक्षक या सहायक नर्स-मिडवाइफ के रूप में किसी भी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण को निषिद्ध कर सकती है और

यदि ऐसा व्यक्ति पहले से ही उस रूप में रजिस्टर्ड है तो उसका नाम निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर रजिस्टर में से हटाने का निदेश दे सकती है, अर्थात् :—

(क) कि वह ऐसे किसी भी अपराध का दोषी सिद्ध हो चुका है जिसमें, परिषद् की राय में, ऐसा कोई चारित्रिक दोष ध्वनित होता है जिसके कारण वह कर्तव्यों का पालन करने के अयोग्य हो जायगा ; या

(ख) कि वह परिषद् द्वारा किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया गया है जो, उसकी राय में, उसकी व्यावसायिक अक्षमता, ऐसी उपेक्षा या विनियमों का उल्लंघन प्रकट करता है जो सामान्यतया उसके कर्तव्यों के पालन में सम्मिलित है ; या

(ग) कि वह परिषद् द्वारा व्यावसायिक दुराचरण या किसी भी व्यावसायिक वृत्ति के कुत्सित आचरण (infamous conduct) का दोषी पाया गया है, या

(घ) कि उसके आचरण में ऐसे दोष हैं जिनके कारण परिषद् की राय में, रजिस्टर में उसके नाम का इन्द्राज करना या उसके नाम को बने रहने देना अवांछनीय होगा :

किन्तु शर्त यह है कि परिषद् द्वारा इस धारा के अधीन तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जायगी जब तक कि ऐसी यथाविधि जांच के पश्चात्, जिसमें सम्बन्धित व्यक्ति को उसके बचाव में सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया हो, सम्बन्धित व्यक्ति, निर्योग्य नहीं पाया जाना जैसा खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किया गया है।

(२) उप-धारा (१) के अधीन रजिस्टर से हटाया गया कोई नाम बाद में रजिस्टर में वापिस दर्ज किया जा सकेगा तथा उप-धारा (१) के अधीन जारी की गई रजिस्ट्रीकरण के निषेध की कोई आज्ञा परिषद् के निदेश, जो बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से दिया जाय, से वापिस ली जा सकेगी।

२०. रजिस्टर में नयी उपाधियों और योग्यताओं का दर्ज किया जाना :—(१) यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड किया जाय, ऐसी उपाधि या योग्यता जिसके संबंध में उसे रजिस्टर्ड किया गया है, से भिन्न कोई उपाधि या योग्यता प्राप्त करे, तो वह, निर्धारित शुल्कों के भुगतान पर, उपयुक्त रजिस्टर में ऐसी अन्य उपाधियां योग्यता संबंधी इन्द्राज, पहले किये गए इंद्राज के स्थान पर या उसके अतिरिक्त, अपने नाम के सामने कराने का हकदार होगा, और उसके लिये रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा।

(२) रजिस्ट्रार, ऐसी जांच जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, या तो आवेदन किया गया इंद्राज कर सकेगा या लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से आवेदन को अस्वीकृत कर सकेगा।

२१. रजिस्ट्रार की आज्ञाओं और निर्णयों की अपीलें :—(१) कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रार की धारा १५ या धारा १६ या धारा १७ या धारा १८ या धारा २० के अधीन किसी आज्ञा या निर्णय से परिवेदित हो, ऐसी आज्ञा या निर्णय के तीस दिन के भीतर परिषद् को अपील कर सकेगा।

(२) ऐसी प्रत्येक अपील निर्धारित रीति से सुनी और निपटाई जायगी।

२२. परिषद् की आज्ञाओं की अपीलें :—कोई व्यक्ति जो परिषद् की, धारा १५ की उप-धारा (१) के परन्तुक के अधीन या धारा १९ के अधीन किसी आज्ञा या निर्णय से परिवेदित हो, उक्त आज्ञा या निर्णय की तारीख से तीन माह के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा।

२३. नर्सों, स्वास्थ्य-वीक्षकों और सहायक नर्स-मिडवाइव्ज की वार्षिक सूचियों का तैयार किया जाना, प्रकाशन और प्रयोग :—(१) रजिस्ट्रार प्रत्येक वर्ष, परिषद् द्वारा इस बारे में नियत की जाने वाली तारीख को या उसके पहले निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ब्यौरा निर्दिष्ट करते हुए,—

(क) सभी रजिस्टर्ड नर्सों,

(ख) सभी रजिस्टर्ड मिडवाइव्ज,

(ग) सभी रजिस्टर्ड स्वास्थ्य-वीक्षकों, तथा

(घ) सभी रजिस्टर्ड सहायक नर्स-मिडवाइव्ज,

की पृथक् पृथक् सूचियां निर्धारित रीति से तैयार, मुद्रित और प्रकाशित करवायेगा।

(२) प्रत्येक कार्यवाही में यह मान लिया जायगा कि कोई व्यक्ति जिसका नाम उप-धारा (१) के अधीन प्रकाशित नवीनतम सूचियों में दर्ज है, वह एक रजिस्टर्ड नर्स या एक रजिस्टर्ड मिडवाइफ या एक रजिस्टर्ड स्वास्थ्य-वीक्षक या एक रजिस्टर्ड सहायक नर्स-मिडवाइफ, जैसी भी दशा हो, है :

किन्तु शर्त यह है कि ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में जिसका नाम उप-धारा (१) के अधीन किसी सूची के प्रकाशन के पश्चात् और तदन्तर्गत नई सूची के प्रकाशन के पूर्व किसी रजिस्टर में दर्ज कर दिया गया हो तो ऐसे इंद्राज की प्रमाणित प्रतिलिपि, जिस पर रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर हों, इस तथ्य का साक्ष्य होगी कि ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है।

अध्याय ४

परीक्षाओं और संस्थाओं को मान्यता इत्यादि

२४. परिषद् की शक्तियां :—परिषद्, विनियम बना कर और अन्यथा, निम्नांकित शक्तियां रखेगी और उनका प्रयोग करेगी, अर्थात् :—

(१) नर्सों, मिडवाइव्ज, स्वास्थ्य-वीक्षकों और सहायक नर्स-मिडवाइव्ज के लिये प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम नियत करना और उन्हें ऐसा प्रशिक्षण देना ताकि वे इस अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण हेतु अर्ह हो जायं;

(२) ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिये योग्यता-प्रदायक परीक्षाएं निर्धारित करना ;

(३) ऐसी सभी या किन्हीं परीक्षाओं की व्यवस्था करना;

(४) ऐसी विभिन्न उपाधियां, डिग्रियां, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र निर्दिष्ट करना जो उनके धारण करने वालों को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये योग्य बनाएंगे;

(५) बुनियादी तथा प्रमाण पश्चोत्तर (पोस्ट सर्टिफिकेट)/स्नातकोत्तर नर्सिंग, मिड-वाइफ-विषयक कार्य, स्वास्थ्य-शिक्षकों और सहायक नर्सिंग-मिडवाइफ विषयक कार्य के पाठ्य-क्रमोंमें प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ शिक्षणया प्रशिक्षण संस्थाओं, स्कूलों, कालेजों को मान्यता प्रदान करना तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण के लिये परीक्षाओं की व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ परीक्षा-निकायों की नियुक्ति करना;

(६) ऐसी फीस निर्धारित करना जिस पर ऐसी मान्यता प्रदान की जा सकेगी;

(७) ऐसे किसी अस्पताल, स्कूल या अन्य तत्समान संस्था, जिसे खण्ड (५) के अधीन अनुमोदित नहीं किया गया है या मान्यता प्रदान नहीं की गई है, द्वारा किसी व्यक्ति को यह प्रदर्शित करते हुए कि ऐसा व्यक्ति एक नर्स, मिडवाइफ सहायक नर्स-मिडवाइफ या स्वास्थ्य-शिक्षक के रूप में व्यवसाय करने के लिये योग्यता-प्राप्त है, कोई प्रमाण-पत्र या प्लेज (document) प्रदान किये जाने के लिये तब तक निषेध करना जब तक कि ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड न हो गया हो, और

(८) ऐसे उपाय अपनाना और ऐसे कार्य करना जो इस अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिये आवश्यक हों।

२५. ऐसी नर्सों, मिडवाइव्ज, स्वास्थ्य-शिक्षकों और सहायक नर्स-मिडवाइव्ज को, जो रजिस्टर्ड नहीं हैं निषेध करने की राज्य सरकार की शक्ति:—राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित की जाने वाली विज्ञप्ति द्वारा ऐसे व्यक्तियों को, जो रजिस्टर्ड नहीं हैं नर्स, मिडवाइव्ज, स्वास्थ्य-शिक्षक और सहायक नर्स-मिडवाइव्ज के रूप में प्रैक्टिस करने का निषेध कर सकेगी और उक्त विज्ञप्ति का उल्लंघन करके प्रैक्टिस करने वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो रजिस्टर्ड नहीं है, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया जाने पर, ऐसा अर्थ दण्ड पाने का भागी होगा जो तीन सौ रुपयों से अधिक का नहीं होगा।

२६. मान्यता प्राप्त संस्थाएं इत्यादि :—(१) परिषद् द्वारा धारा २४ के खंड (५) और तदन्तर्गत बनाए गए विनियमों के अधीन मान्यता-प्राप्त संस्थाएं, स्कूल, अस्पताल, परीक्षक-निकाय और एसोसियेशन नर्सों, मिडवाइव्ज स्वास्थ्य-शिक्षकों और सहायक नर्स-मिडवाइव्ज को प्रशिक्षण देने के लिए, उन्हें ऐसी योग्यता-प्रदायक परीक्षाओं जिनके लिये ये मान्यता प्राप्त हुए हों, के लिये भेजने या उक्त योग्यता-प्रदायक परीक्षाओं की व्यवस्था करने के लिये और ऐसे प्रमाण-पत्र जो उनकी मान्यता की धारा में निर्दिष्ट हों, जारी करने के लिये सक्षम होंगी/होंगे।

२७. मान्यता की वापसी :—परिषद् की धारा २६ में निर्दिष्ट किसी संस्था की मान्यता, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, वापस लेने की शक्तिमान होगी।

२८. राज्य सरकार को अपील :—कोई व्यक्ति जो धारा २४ के खंड (५) में निर्दिष्ट किसी संस्था को मान्यता प्रदान करने या मान्यता प्रदान करने से अस्वीकार करने या धारा २७ के

अधीन ऐसी मान्यता वापिस लेने की परिषद् की आज्ञा से परिवेदित हो, ऐसी आज्ञा की तारीख से तीन माह के भीतर, उसकी अपील राज्य सरकार को कर सकेगा जिसका कि उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

२९. संस्थाओं से जानकारी प्राप्त करने इत्यादि की परिषद् की शक्ति :—(१) परिषद् को धारा २४ के खंड (५) में निर्दिष्ट किसी मान्यता-प्राप्त संस्था के बारे निकाय या सत्ता से—

(क) ऐसी रिपोर्ट, लेखे या अन्य सूचना जो संस्था की कार्यदक्षता या उसमें दिये जाने वाले प्रशिक्षण का मूल्यांकन करने में परिषद् को समर्थ बनाने हेतु उसके द्वारा मांगी या सके प्रस्तुत करने के लिये; तथा

(ख) परिषद् के किसी सदस्य (जिसे इस बारे में परिषद् द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाय) को उक्त किसी संस्था द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में उपस्थित होने में समर्थ बनाने में सुविधाएं प्रदान करने के लिये;

मांग करने की शक्ति होगी।

(२) परिषद् को उक्त किसी संस्था का निरीक्षण करने की शक्ति होगी और तत्प्रयोजनार्थ परिषद् अपने तीन से कम न होने वाले और पांच से अधिक न होने वाले सदस्यों की एक उप-समिति, उक्त संस्था का निरीक्षण करने और तत्सम्बन्धी रिपोर्ट परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।

३०. शुल्कों की दरें (Fees) :—(१) परिषद्, राज्य सरकार की मंजूरी से, इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गए नियमों और विनियमों में प्रावधित सभी मामलों और कार्यवाहियों के संबंध में देय शुल्कों की दरें नियत करेगी और उनके भुगतान की रीति प्रावधित करेगी।

(२) ऐसे शुल्क इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत बनाये गए नियमों और विनियमों के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किये जायेंगे।

अध्याय ५

विविध

३१. अपराध, शास्तियां और प्रक्रिया :—(१) कोई व्यक्ति जो :—

(क) इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत बनाये गए नियमों और विनियमों के अधीन उसे या किसी अन्य व्यक्ति को जारी किये गये किसी रजिस्ट्रीकरण-प्रमाणपत्र का प्रयोग बेईमानी से करता है, या

(ख) लिखित में या अन्यथा कोई झूठी या छलपूर्ण घोषणा, प्रमाण-पत्र या अभ्यावेदन करके या प्रस्तुत करके अथवा करवा करके या प्रस्तुत करवा करके इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत बनाये गए नियमों और विनियमों के अधीन रजिस्ट्रेशन प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, या

(ग) धारा २० के अधीन कोई नई उपाधि या योग्यता कपटपूर्ण रीति से दर्ज कराता है या दर्ज कराने का प्रयत्न करता है, या

(घ) इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत बनाये गए नियमों और विनियमों के अधीन रखे गए रजिस्टरों या जारी किये गए प्रमाण-पत्रों में जानबूझ कर कोई मिथ्या-करण (Falsification) करता है या कराता है, या

(ङ) धारा २४ के खंड (५) में निर्दिष्ट किसी मान्यता-प्राप्त संस्था के सेक्रेटरी, मैनेजर या अन्य पदाधिकारी के रूप में, धारा २६ में अन्त-र्विष्ट प्रावधान के उल्लंघन में किसी व्यक्ति को कोई प्रमाण-पत्र जारी करता है या जारी किया जाना प्राधिकृत करता है अथवा ऐसे व्यक्ति का नाम दर्ज करता है या दर्ज किया जाना प्राधिकृत करता है,

दोषसिद्धि पर, वह ऐसे अर्थदंड से जो तीन सौ रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जायगा।

(२) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत बनाये गए नियमों और विनियमों के अधीन रजिस्टर्ड नर्स, मिडवाइफ, स्वास्थ्य-वीक्षक या सहायक नर्स-मिडवाइफ न होते हुए,—

(क) एक रजिस्टर्ड नर्स या एक रजिस्टर्ड स्वास्थ्य-वीक्षक या एक रजिस्टर्ड सहायक नर्स-मिडवाइफ, जैसी भी दशा हो का नाम या कि उपाधि धारण या प्रयोग करे, या

(ख) किसी ऐसे नाम, उपाधि, पता पता (Addition) वर्णन या साइनबोर्ड का प्रयोग करे जिससे यह लक्षित हो कि ऐसा व्यक्ति एक रजिस्टर्ड नर्स या एक रजिस्टर्ड मिडवाइफ या एक रजिस्टर्ड स्वास्थ्य-वीक्षक या एक रजिस्टर्ड सहायक नर्स-मिडवाइफ, जैसी भी दशा हो, है,

तो उसे दोष सिद्धि पर, प्रथम अपराध की दशा में ऐसे अर्थदंड से जो दो सौ रुपये से अधिक नहीं हो और द्वितीय या किसी पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में ऐसे अर्थ दण्ड से जो पांच सौ रुपये से अधिक न हो, दंडित किया जायगा ।

(३) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत बनाये गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों में से किसी का उल्लंघन करे और यदि ऐसा उल्लंघन उप-धारा (१) और (२) के प्रावधानों के अन्तर्गत न आता हो तो उसे दोषसिद्धि पर, ऐसे अर्थदंड से जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जायगा ।

(४) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भिन्न कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध पर विचार नहीं करेगा ।

(५) कोई न्यायालय, इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, सिवाय उस दशा के जब कि रजिस्ट्रार द्वारा परिषद् की पूर्व स्वीकृति से शिकायत की जाय, संज्ञान नहीं करेगा ।

३२. राज्य सरकार का नियंत्रण :—यदि किसी भी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि परिषद् इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करने में विफल रही है अथवा परिषद् ने उसका अतिक्रमण या दुरुपयोग किया है अथवा वह इस अधिनियम द्वारा उस पर आरोपित कर्तव्य का पालन करने में विफल रही है, तो राज्य सरकार, यदि वह ऐसी विफलता, अतिक्रमण या दुरुपयोग को गंभीर प्रकार का समझे, उसका ब्यौरा परिषद् को अधिसूचित कर सकेगी, और यदि परिषद् ऐसी विफलता, अतिक्रमण या दुरुपयोग का प्रतिकार, ऐसे समय के भीतर, जो राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निश्चित किया जाय, करने में विफल रहती है, तो, राज्य सरकार, परिषद् को भंग कर सकेगी और परिषद् की समस्त या उनमें से किन्हीं भी शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रयोग तथा पालन, ऐसी एजेन्सी द्वारा तथा उतनी अवधि के लिए जिसे वह उचित समझे, कराये जाने की व्यवस्था कर सकेगी :

परन्तु शर्त यह है कि वह सुविधापूर्वक यथाशीघ्र नई परिषद् गठित किये जाने की कार्यवाही करेगी जैसा कि धारा ४ में उल्लिखित है।

३३. नियम और विनियम :—(१) राज्य सरकार निम्नलिखित के लिये, नियम बना सकेगी :—

(क) सामान्यतः इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, तथा

(ख) विशेषतः ऐसे समस्त मामलों को विनियमित करने या उनके हेतु प्रावहित करने के लिये जो इस अधिनियम के किसी प्रावधान द्वारा या के अधीन परिषद् द्वारा निर्धारित न किये जाकर, अन्यथा निर्धारित किये जाने अपेक्षित हैं या किये जा सकते हैं, अथवा जिनके लिये, किसी उक्त प्रावधान द्वारा अथवा के अधीन, नियम बनाये जा सकते हैं या बनाये जाने अपेक्षित हैं।

(२) परिषद् धारा १०, १२ और २४ द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित के लिये ऐसे विनियम रच सकेगी जो इस अधिनियम तथा उपधारा (१) के अन्तर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों से असंगत न हों :—

[१] धारा १०, १२ और २४ में निर्दिष्ट मामलों के अलावा, ऐसे मामलों के लिये प्रावहित करने के लिये, जो इस अधिनियम के किसी प्रावधान द्वारा अथवा के अधीन परिषद् द्वारा निर्धारित [illegible] किये जाने अपेक्षित हैं या किये जा सकते हैं अथवा जिनके लिये किसी उक्त प्रावधान द्वारा अथवा के अधीन विनियम बनाये जा सकते हैं या बनाये जाने अपेक्षित हैं;

[२] परिषद् के कर्मचारियों की संख्या निश्चित करने के लिये ;

[३] रजिस्ट्रार तथा परिषद् के अन्य कर्मचारियों को देय वेतन निश्चित करने के लिये, तथा उनकी अन्य सेवा-शर्तें निर्धारित करने के लिये;

[४] रजिस्ट्रार तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले कर्तव्यों को निर्दिष्ट करने के लिये;

[५] इस अधिनियम के अधीन रखे जाने तथा संधारित किये जाने वाले रजिस्टरों के रूपपत्र (फार्म) निर्धारित करने के लिये;

[६] इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनार्थ, योग्यता प्रदायक परीक्षायें जो पास की जायं, प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम जो पूरे किये जायं, तथा अन्य शर्तें जिनका पालन किया जाय, निर्दिष्ट करने के लिये;

[७] इस अधिनियम के अधीन जांच करने तथा अपील सुनने की रीति निर्धारित करने के लिये;

[८] धारा २३ के अधीन वार्षिक सूचियां तैयार करने तथा प्रकाशित करने की रीति निर्दिष्ट करने के लिये;

[९] इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत निर्मित नियमों तथा विनियमों के अधीन आरोप्य तथा देय विभिन्न शुल्कों की राशि या दरें निर्दिष्ट करने के लिये, तथा उनके भुगतान की रीति प्रावहित करने के लिये;

[१०] परिषद् की आय और व्यय तथा उसका बजट बनाये जाने को विनियमित करने के लिये;

[११] लेखे रखने की रीति निर्धारित करने के लिये तथा उनके आडिट हेतु व्यवस्था के लिये :

परन्तु इस प्रकार बनाया गया कोई विनियम तब तक प्रभाव में नहीं आयेगा जब तक राज्य सरकार द्वारा उसकी पुष्टि न कर दी जाय ।

३४. नियमों और विनियमों को विधान सभा के समक्ष रखना :—समस्त नियम और विनियम जो इस अधिनियम के अधीन प्रतिमरूपेण बनाये जाय, बनाये जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल, जब कि सत्र चालू हो, के सदन के समक्ष ऐसी अवधि जो चौदह दिन से कम न हो, तथा जो एक सत्र में अथवा दो उत्तरोत्तर सत्रों में पूर्ण हो, के लिये रखे जायेंगे, और यदि, उस सत्र की, जिसमें कि वे रखे जायं, या तदनुवर्ती सत्र की समाप्ति के पूर्व, राज्य विधान मंडल का सदन उक्त नियमों या विनियमों में से किसी में कोई रूपांतर करे अथवा यह निश्चित करे कि वैसा कोई नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिये तो, उक्त नियम या विनियम तत्पश्चात्, उक्तरूपेण रूपान्तरित स्वरूप में ही प्रभावयुक्त अथवा प्रभाव शून्य, यथास्थित होगा, तथापि, इस भांति कि तदन्तर्गत पूर्वतः की गई किसी बात की वैधता पर वैसा कोई रूपांतरण अथवा अभिशून्यन, प्रतिकूल प्रभाव नहीं रखेगा ।

३५. दावों और वैधिक कार्यवाहियों का वर्जन :—इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावना से किये गये किसी कार्य के संबंध में उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई दावा या अन्य वैधिक कार्यवाही दायर नहीं होगी ।

३६. निरसन :—(१) बाम्बे नर्सेज, मिडवाइव्ज एंड हैल्थ विजिटर्स एक्ट, १९५४ (बाम्बे एक्ट १४, सन् १९५४), जहां तक कि वह भारू क्षेत्र पर लागू होता है, मध्य भारत दाईज रजिस्ट्रेशन एक्ट, १९५३ (मध्यभारत एक्ट २२, १९५३), मध्यभारत नर्सेज मिडवाइव्ज एंड हैल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, १९५५ (मध्यभारत एक्ट २, सन् १९५५), जहां तक कि वे सुनेल क्षेत्र पर लागू होते हैं, तथा राज्य के किसी अन्य भाग में प्रभावशील समस्त अन्य तद्वत विधियां एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं ।

(२) राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-बोधक और सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रेशन अध्यादेश, १९६४ (राजस्थान अध्य देश संख्या २, सन् १९६४), एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(३) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में बनाये गये समस्त नियम, किया गया कोई भी कार्य अथवा की गई कोई भी कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में बनाये गये, किया गया या की गई समझी जायगी ।

३७. परित्राण:—इस अधिनियम की कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी अथवा उन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी,—

(१) राजस्थान मेडिकल एक्ट, १९५२ (राजस्थान एक्ट १३, सन् १९५२), के अर्वान्तर्गत किसी रजिस्टर्ड व्यवसायी पर (practitioner), अथवा

(२) राजस्थान इंडियन मेडिसिन एक्ट, १९५३ (राजस्थान एक्ट ५, सन् १९५३), के अंतर्गत किसी श्रेणी के वैद्य अथवा हकीम के रूप में रजिस्टर्ड अथवा भर्ती किये हुए व्यक्ति पर, अथवा

(३) किसी व्यक्ति पर जो अपने व्यवसाय को दंत चिकित्सा की कला तक ही सीमित रखता है या जो पशु चिकित्सक है, अथवा

(४) किसी ऐसे व्यक्ति पर जो होमियोपेथी-चिकित्सा करता है, अथवा

(५) किसी ऐसे व्यक्ति पर जो देशी दाई होते हुए किसी प्रसूता की परिचर्या करे।

लहरसिंह मेहता,
शासन सचिव ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर